उपराश्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और संवैधानिक मर्यादा

डॉ.राकेष वर्मा
सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान
कार्यवाहक प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय जैतारण ब्यावर

संक्षिप्तीकरणः—जब भारतीय क्रिकेट टीम के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेन्दुलकर ने अपने विदाई भाशण में सबको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन के सभी पहलुओं को इंगित किया जिसको उन्होंने जिया था। इस भाशण को सुनने वालों की आँखों में आंसू रहे होंगे। जब सामान्य कार्मिक अपने कार्यस्थल से सेवानिवृत्त होता है तो उस कार्मिक के साथी सहकर्मी नम आंखों से विदाई देते हैं। परन्तु सोमवार 21 जुलाई 2025 की रात अचानक संवैधानिक पदों की दूसरी सर्वोच्च सीढ़ी पर विराजमान उपराश्ट्रपति अपने इस्तीफे की घोशणा कर देते हैं और कारण बताया गया स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का। प्र न उठता है कि यदि उनका स्वास्थ्य इतना ही खराब था तो पूर्व में दिए गए भाशणों में अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होने की बात क्यों की? अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब था तो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया गया? अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब था तो मानसून सत्र की कार्यवाही भ्रुरू हानें का इन्तजार क्यों किया गया? इस प्रकार के प्र न न केवल मेरे मन में उठ रहे होंगे अपितु उन तमाम बुद्धिजीवियों के मन में भी उठ रहे होंगे जिनको संविधान का और लोकतांत्रिक मर्यादा का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर सेवानिवृत्त होने वाले पहले उपराश्ट्रपति हैं। वी.वी.गिरी ने जुलाई को उपराश्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र उम्मादवार के रूप राश्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 3 मई 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के बाद वी.वी.गिरी ने कार्यवाहक राश्ट्रपति का पद संभाला था। आर वैंकटरमण भांकरदयाल भार्मा और के.आर.नारायण ने राश्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। जुलाई 2002 में पद पर रहत हुए कृश्णकांत का निधन हो गया था। 21 जुलाई 2007 को भैरोंसिंह भोखावत ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो राश्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और प्रतिभा पाटिल से चुनाव हार गए थे। जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से दिया गया इस्तीफा किस वजह से दिया गया,इसके पीछे की क्या कहानी है, और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है सब वि लेशण का विशय है।

संकेताक्षरः—उपराश्ट्रपति, संविधान, चुनाव प्रक्रिया, संसद, महाभियोग, व्यास्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान—सं ोधन, मंत्रिपरिशद् इत्यादि।

अध्ययन का विषयः— हमारे सामने दिनांक 21 जुलाई 2025 सोमवार रात भारत के उपराश्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया त्यागपत्र का संदे ा आता है। जिसका दिया गया स्वास्थ्य का हवाला राजनीति को जानने व समझने वाले किसी भी व्यक्ति के गले नहीं उतरती। हम इस घटनाक्रम को समझने के लिए संविधान के उपबंधों को अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि संविधान उपराश्ट्रपति के चुनाव व इस्तीफे व पद त्याग व हटाए जाने के आधार बताता है। हम अध्ययन करेंगे कि इस पर महाभियोग की प्रक्रिया के उपयोग में लाए जाने व व्यावहारिक स्थिति क्या है।

उपराष्ट्रपति का चयनः— भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 1 कार्यपालिका राश्ट्रपति और उपराश्ट्रपति के बारे में समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उपराश्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। एक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होंगे। इनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 66(3) पात्रता जिसमें वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्श की आयु पूर्ण हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या इन सरकारों के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। भारतीय संविधान कहता है कि भारत का एक उपराश्ट्रपति होगा और वह राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राश्ट्रपति की मृत्यु,पदत्याग,बीमारी,अनुपस्थिति या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्ती

की द ाा में उपराश्ट्रपति पद धारण करता है तो उसे राश्ट्रपति के रूप में ही उनको सब सुविधाएं और वेतन भत्ते आदि मिलते हैं। अनुच्छेद 67 पदावधि के बारे में बताता है कि उपराश्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्श तक पद धारण करेगा। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि वह राश्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से पदत्याग कर सकता है, साथ ही राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया और लोकसभा जिसमें सहमत है लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी, यह सामान्य उपबंध संविधान करता है। मेरे आलेख का विशय वर्तमान उपराश्ट्रपति द्वारा दिया त्यागपत्र है। 3 अगस्त 2025 द टाइम्स ऑफ इण्डिया के समाचार "त्यागपत्र की वास्तविकता और विपक्ष के आरोप" के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जब धनखड़ स्वतंत्र रूप से काम करने लगे और उन्होंने जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव को हटाने वाला नोटिस जारी किया तब उन पर मोदी सरकार ने दबाव डाला।

द हिन्दु न्यूज 24 जुलाई 25 के आलेख निकास की पीड़ाः जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर लिखा और कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए झटका है। उपराश्ट्रपति के इस्तीफे ने कार्यपालिका और संसद के बीच सम्बंधों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। धनखड़ का इस्तीफा अन्य उपराश्ट्रपतियों से अलग है। संसद मानसून सत्र के पहले दिन वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे साथ ही उनके कार्यालय ने उनके इस सप्ताह के सार्वजनिक कार्यक्रमों की घोशणा भी कर दी थी। अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देना गले नहीं उतरता जबकि उनका स्वास्थ्य इस साल के भाुरूआत में खराब हुआ था तथा अस्पताल से स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन में भाामिल हो गए थे। अखबार लिखता है कि कार्यपालिका के साथ उनके रि ते कई दिनों से खराब चल रहे थे, लेकिन न्यायिक जवाबदेही पर उनका रूख और उसे हासिल करने में लोकसभा और राज्यसभा की सापेक्ष भूमिकाएं एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती हैं।

यद्यपि धनखड़ का विवादों से गहरा नाता रहा है और हमे ाा उनके विचारों से लगता था कि वो जी हुजूरी वाले नेता रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिशद् के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन के साथ ही कुछ सीखने की बात कही है। यह कृतज्ञता सेवानिवृत्ति पर सटीक बैठती बीच में इस्तीफे से नहीं। विपक्ष ने इन्हें आड़े हाथों भी लिया था। विपक्ष ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी रखा था। धनखड़ ने "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" भाब्द संविधान में भाामिल किए जाने और आरएसएस के इन बिन्दुओं पर बहस करने के आह्वान का समर्थन किया। वे न्यायिक स्वतंत्रता के बजाए संसदीय सर्वोच्चता के पक्षधर रहे जो संविधान की मूल भावना के विरूद्ध थी। इस मुद्दे के साथ ही उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भोखर यादव पर महाभियोग चलाने की विपक्ष की मांग का धनखड़ ने समर्थन किया जिसने सार्वजनिक रूप से साम्प्रदायिक टिप्पणी की थी। धनखड़ ने इस महाभियोग के प्रस्ताव पर विपक्ष के 50 सांसदों के हस्ताक्षर तथा इसकी जांच करवाने की बात धनखड़ ने की और फलस्वरूप इस्तीफा हुआ।

जीवन परिचयः—डॉ. धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनूं जिले के किठाना गांव में जाट परिवार में हुआ था। स्कूली ि ाक्षा उन्होंने मिलीट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की। जयपुर के महाराजा महाविद्यालय से बी.एस.सी. ऑनर्स किया और राजस्थान वि वविद्यालय से कानून की ि ाक्षा प्राप्त की। 1979 में एक वकील के रूप में पंजीकृत हुए, 1988 में राजस्थान बार कांउसिल एसोसिए ान के सदस्य चयनित हुए। 1990 में सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भाुरू की। 1989 में झुंझुनूं से जनता दल से सांसद बने तथा 1990 में संसदीय कार्य राज्यमंत्री बने। 1993—98 में कि ानगढ़ अजमेर से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली, 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पि चमी बंगाल के राज्यपाल रहे। दिल्ली,पंजाब,माखनलाल चतुर्वेदी वि वविद्यालय भोपाल के पदेन कुलपति रहे। उनकी भाादी 1979 डॉ. सुदे ा कुमार से हुई।

धनखड़ और उनकी द्वंद्वात्मक राजनीतिः—डेक्कन हेराल्ड 6 अगस्त 2022 के समाचार "जगदीप धनखड़ जर्नी फ्रॉम राजस्थान विलेज टू ऑफिस ऑफ वॉइस प्रसीडेन्ट" के उनको अनुसार "अच्छिुक राजनीतिज्ञ" कहा गया। विधायक होने के बाद 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली और गायब से हो गए। 2019 में पि चमी बंगाल के राज्यपाल और 2022 में मार्गेट अल्वा को हराकर उपराश्ट्रपति बने। हिन्दुस्तान के दिनांक 11 दिसम्बर 2019 के लेख के अनुसार ममता बनर्जी ने धनखड़ को आर.एस.एस.मैन कहा। प्रत्युत्तर में धनखड़ ने कहा कि वह एक नहीं हैं, लेकिन एक होने में उन्हें खु ाी होगी। दीपक भार्मा ने यू ट्यूब चैनल पर कहा कि विपक्ष ने

आरोप लगाया और विपक्ष उनको हटाना चाहता था क्योंकि कि जब, धनखड़ उपराश्ट्रपति बने तब प्रधानमंत्री की लिखी हुई स्क्रिप्ट आती थी और धनखड़ उसे पढ़ते थे।

कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके भीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा राज्य सरकार के साथ धनखड़ के विवाद हमे ा रहे विपक्ष को बात रखने का मौका कम ही दिया। ममता बनर्जी ने धनखड़ को स्वस्थ बताया और कहा कि वे 74 के होने के बाद भी अच्छा कर रहे हैं। यद्यपि ममता बनर्जी ने कई मौकों पर धनखड़ पर संविधान की मर्यादाओं को लांघने का आरोप लगाया था।

धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमे ा ने एक्स पर लिखा कि उपराश्ट्रपति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है ,उतना ही समझ से परे भी है। रमे ा ने कहा भााम 5 बजे तक अन्य सांसदों के साथ था। भााम 6.30 बजे उनसे फोन पर बात हुई। साथ ही कहा कि इस्तीफे के पीछे और भी बहुत कुछ है, जो सामने नहीं आया।

इण्डिया टुडे के 17 जुलाई 2022 के समाचार के अनुसार धनखड़ और ममता बनर्जी के रि ते लम्बे समय से उतार–चढ़ाव वाले रहे हैं। 2019 से 2022 तक ममता बनर्जी ने धनखड़ के खिलाफ ि ाकायती पत्र लिखे जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार गवर्नर द्वारा पैदा की जाने वाली समस्याओं जिनमें फाइलों की आवाजाही, फाइलों के निपटान में देरी, सामान्य मुद्दों पर राज्य के मुख्य सचिव को और अन्य राज्य अधिकारियों को तलब करना जिससे मुख्यमंत्री की सत्ता के समक्ष चुनौती पैदा करते हैं, उन्हें संवैधानिक पद से हटाने की मांग भी की। अब एक प्र न उठता है कि क्या प. बंगाल के मुख्यमंत्री से होने वाली टसल का पुरूस्कार जगदीप धनखड़ को दिया गया? जो कि राज्यपाल के रूप केवल 3 साल ही पूरे किए थे और उन्हें उपराश्ट्रपति के रूप में उम्मीद्वार बनाया और उपराश्ट्रपति बने भी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि यदि धनखड़ 5 साल के पूरे कार्यकाल के लिए रहते तो बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में काफी फायदा होता। यद्यपि गवर्नर सामान्य रूप से उपस्थित रहते हैं परन्तु औचित्यपूर्ण रूप से चुप रहते हैं। वर्तमान सो ाल मीडिया के द्वारा राज्यपाल अपने वक्तव्य राज्यपाल देते रहते हैं। जैसे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद और धनखड़ दोनों सो ाल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। बीजेपी प.बंगाल में धनखड़ की गतिविधियों को मजबूति देती है जो ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं होता। मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जाता और उनको गृहमंत्री अमित भााह द्वारा फोन कॉल से सूचित किया जाता है। तृणमूल कांग्रेस का यह वि वास है कि संवैधानिक नियमों के आधार पर मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार से म ाविरा करती है। प्रोटोकॉल का अव य पालन किया जाना चाहिए जैसा आडवाणी प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री से बात करते थे। धनखड़ जब उपराश्ट्रपति बने तब उन्होंने स्वयं ही अपने सामने विपक्षी उम्मीद्वार के होने और न होने और सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने समर्थन में होने के बारे में बोलते थे। तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोश ने धनखड़ पर दिसम्बर 2022 में राज्य में भाांति भंग की कोि ा ा करने का आरोप लगाया और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की और कहा कि राज्यपाल रहते हुए भी धनखड़ ने बीजेपी नेता की तरह बर्ताव किया।

प.बंगाल सरकार ने राज्यपाल धनखड़ को वि वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने पर मुहर लगा दी। मामला था कोलकाता की भारती यूनिवर्सिटी में छात्रों को बर्खास्त करने के मामले से भाुरू हुआ। राज्यपाल ने कुलपति का पक्ष लिया और सरकार ने यूनिवर्सिटी को राजनीति में नहीं घसीटने की बात की तथा राज्यपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि 24 वि वविद्यालय में कुलपति गलत तरीके से लगाए गए। प.बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ द्वारा संसदीय मामलों और विधानसभा के कामकाज में "अध्यधिक हस्तक्षेप" करने की ि ाकायत की थी। इन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षरों के लिए पड़े हैं। टी.एम.सी. नेता प्रसून बनर्जी ने इण्डिया टुडे को कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गतिविधयों का देखने के बाद ऐसा लगता है कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए।" टीएमसी राज्यपाल को राजनीतिक दल बीजेपी का मुखपत्र मानती है। यद्यपि भाजपा राज्यपाल के बचाव में कहती है कि सत्तारूढ़ त्रणमूल कांग्रेस राज्यपाल से नाराज है, "क्योंकि उन्होंने राज्य में अराजकता की स्थिति को उजागर कर दिया है।"

30 जुलाई 2019 में प. बंगाल के गवर्नर का पदभार ग्रहण करने के तीन महीने बाद धनखड़ ने विभिन्न मुद्दों पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की आलोचना करने के लिए अपने ट्विट्र हैंडल का

उपयोग करना भुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने धनखड़ को ब्लॉक कर दिया परन्तु धनखड़ ने ट्विट्स्टार्म के जरिए जवाब देने के बाद दोनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया तथा व्यक्तिगत और कड़वा हो गया जिसका संकेत टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला ने 'तेर पाबेन'(उन्हें परिणाम भुगतना होगा) से दिया।

हिन्दुस्तान पत्रिका के दिसम्बर 2020 के आलेखानुसार धनखड़ ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि ममता ने खुद को कानून के भाासन से दूर कर लिया, जो संविधान निर्माता डॉ.बी.आर अम्बेडकर की आत्मा पर चोट है। प्रत्यत्तुर में सौगत राय ने कहा कि धनखड़ नैतिकता का पालन नहीं कर रहे।

2022 में उपराश्ट्रपति चुने जाने के बाद भीतकालीन सत्र में धनखड़ ने भीतकालीन सत्र में उन्होंने राश्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने वाली सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले को संसदीय संप्रभुत्ता के गंभीर समझौते और लोगों के जनादे ा की अवहेलना का स्पश्ट उदाहरण कहा था। अगस्त 2023 में धनखड़ ने विपक्ष द्वारा मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की बात पर कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सदन में उपस्थित रहने का निर्दे ा "नहीं दे सकते और न ही देंगे" क्योंकि अन्य सांसद की तरह संसद में आना, प्रधानमंत्री का वि ोशाधिकार है। 2023 में भीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच सम्बंध उस समय बेहद ,खराब हुए जब संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों को निलम्बित किया गया। ज्यादातर सांसद संसद की सुरक्षा भंग पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित भााह के बयान और उसके बाद उस मामले पर चर्चा की मांग को लेकर निलम्बित किया गया।

राजनीतिक वि लेशक अमिताभ तिवारी ने कहा कि धनखड़ भाजपा के उस उद्दे य को पूरा नहीं कर पाए जिसके लिए उनको चुना गया। अपनी किसान पृश्ठभूमि का होने के बावजूद किसान आंदोलकारियों को प्रभावित नहीं कर पाए। सदन में वह बहुत ज्यादा आक्रामक और पक्षपातपूर्ण हो गए।

दिसम्बर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया और उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। प्रस्ताव में उन्हें सरकार का प्रवक्ता कहा गया और निश्पक्षता की गंभीर कमी बताई गई। धनखड़ ने किसान विरोध मामले में विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाने की मांग की जिस पर आपत्ति जताते हुए धनखड़ ने विपक्षियों के लिए "मगरमच्छ के आंसू" करार दिया। विपक्षी नेताओं का एक वर्ग सदन से बाहर चला गया।

विने ा फोगट को पेरिस ओलम्पिक से अयोग्य ठहराए जाने पर मचे घमासान के बीच में विपक्षियों को फटकार लगाई, साथ ही कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

धनखड़ द्वारा आरएसएस की प्र ांसा करना और उसे बेदाग साख वाला बताकर राश्ट्र के विकास में योगदान देने के संवैधानिक अधिकार की बात के साथ ही आरएसएस को एक सर्वोच्च स्तर का वै िवक थिंक टैंक कहा। लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी का नाम न लेते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का दे ा के दु मनों का हिस्सा बन जाना इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। नाम न छापने की भार्त पर एक भाजपा नेता ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह राजस्थान का भाजपा का एक बड़ा नेता हो सकता है, जो धनखड़ द्वारा कोटा कोचिंग सेन्टरों को 'ि ाकार' केन्द्र बताया था।

आजतक के जुलाई 2025 के लेख के अनुसार उपराश्ट्रपति के तौर पर उनके करीब तीन साल के कार्यकाल पर लिखा– जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की मूल संरचना सिद्धांत पुनरावृत्ति के संदर्भ में बयान दिया था, संसद के बनाए कानूनों को अगर अदालत रोक देती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा" इस बयान से विवाद खड़ा हो गया और विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया और संवैधानिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। मार्च 2023 में भौक्षणिक संस्थानों और छात्र राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उपराश्ट्रपति ने कहा था कि कुछ वि वविद्यालय दे ाविरोधी विचारधाराओं की भारणस्थली बन गए हैं। इसे विपक्षियों ने संघी एजेण्डा बताया और छात्र संघटनों ने इस बयान को वापस लेने की मांग की। दिसम्बर 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि उपराश्ट्रपति एक उपराश्ट्रपति न होकर एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं।

मई 2024 में उपराश्ट्रपति ने बयान दिया कि कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं उन्हें संसद की जगह कटघरे में होना चाहिए। विपक्षियों ने कहा कि वो असहमति की आवाज को दबा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में उपराश्ट्रपति ने सीबीआई और ईडी का समर्थन किया और कहा इन संस्थाओं पर सवाल उठाना भारतीय

न्यायतंत्र को कमजोर करता है। परिणामतः प्रत्यक्ष रूप से इन संस्थाओं की ज्यादती का समर्थन है जो सरकारों के इ ाारों पर काम करते हैं।

अमित भााह द्वारा सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया कि यूपीए भाासन के दौरान प्रधानमंत्री राश्ट्रीय राहत कोश पर उनका नियंत्रण था। इसकी प्रतिक्रिया में जयराम रमे ा गृहमंत्री के खिलाफ वि ोशाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए जिसे धनखड़ ने खारिज किया। जया बच्चन द्वारा धनखड़ के बोलने की भौली और हाव भाव पर आपत्ति जताई और कहा कि उनका टोन सही अनुचित है। इसके जवाब में धनखड़ ने कहा कि आप सैलेब्रिटी हो सकती हैं लेकिन सदन की मर्यादा समझिए। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना नहीं बदल सकते परन्तु आपातकाल में ऐसा हुआ। इसका समर्थन धनखड़ ने होसबले के एक तरह से समर्थन के रूप में किया।

भारत–पाक संघर्श पर भी भारतीय संप्रभुता का बचाव किया जिससे भारत सरकार का पक्ष लेते दिखाई दिए। साथ ही किसानों के मुद्दे पर किसानों का पक्ष लेते हुए उनसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए कहा और बताया कि हमने अभी तक क्या किया और क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कटाक्ष करते हुए धनखड़ ने कहा कि कोर्ट राश्ट्रपति को आदे ा नहीं दे सकती। मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर मंजूरी देने की समय सीमा तय करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आज अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल बन गया है, जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहती है। नीरजा चौधरी ने कहा कि सत्ता पक्ष आज वै िवक परे ाानियों को ध्यान में रखकर विपक्ष के दलों को साथ रखने के पक्ष में है लेकिन धनखड़ वाला माामला उल्टा पड़ गया।

वरिश्ठ पत्रकार र ाीद किदवई ने कहा कि सम्भावना है कि धनखड़ की तबीयत खराब हो, लेकिन लम्बे समय से बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो इस्तीफे से इसका कुछ सम्बंध हो सकता है या किसी को उपराश्ट्रपति बनाकर एडजस्ट करने की कोि ा ा तो नहीं है, हालात ऐसे बता रहे हैं कि जरूर कुछ बात हो, ऐसा ही मिलता जुलता बयान नीरजा चौधरी का था। संसद में बहस के दौरान विपक्षी नेताओं को जे.पी.नड्डा ने कहा कि "कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वह ही रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, यह आपको जानना चाहिए" ऐसी टिप्पणी सदन के अध्यक्ष या सभापति ही करते हैं।

द हिन्दु 22 जुलाई 2025 के अनुसार कि किसानों के विरोध प्रद ानों पर उन्होंने सरकार से अलग रूख अपनाया, लेकिन न्यायपालिका में भ्रश्टाचार के मुद्दे पर तीखी आलोचना हुई। उन्होंने लोगों के साथ दुस्साहस करने के विरूद्ध सरकार को दा ानिक चेतावनी दी। लेकिन सनातन धर्म पर संविधान में धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद जैसे भाब्दों को भाामिल करने जैसे मुद्दों पर वे कई मंत्रियों से ज्यादा मुखर रहे।

एन.जे.एस.सी. मामले पर धनखड़ ने पूर्व मुख्य न्यायाधी ा डी.वाई.चन्द्रचूड़ के सामने भाशण देते हुए 145(3) का हवाला देते हुए किसी भी प्रावधान को कहीं भी संविधान में नहीं लिखे होने की बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में इस मसले पर खु ार–फु ार और कानाफू ाी तक नहीं हुई और इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया, यह गंभीर मुद्दा है। विपक्ष की आलोचना के बाद कहा गया कि उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपात पूर्ण रूख न अपनाया जाय। वीर स्वामी निर्णय 1991 के सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार का एक प्रस्ताव का रखा, जो इस मुद्दे से निपटता था कि क्या भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधी ाों पर लागू होता है। इस निर्णय को न्यायिक छल करार दिया गया, न्यायपालिका में भ्रश्टाचार की उत्पत्ति का आरोप वीर स्वामी निर्णय पर लगाया।

धनखड़ ने सांसदों की भी एक सीमा तक वि ोशाधिकारों की सीमा बताई जिसमें सबको संसद में सोच समझकर बोलना चाहिए। सदन को सूचनाओं के बेतरतीब पतन का मैदान ही बनाया जा सकता है। अहंकार के विरूद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि अहंकार लोकतंत्र के लिए खतरा है।

सरकार के विरूद्ध वक्तव्य जो शायद इस्तीफे का कारण बनेः– दिसम्बर 2024 में मुम्बई में किसानों के एक कार्यक्रम में कृशि मंत्री ि ावराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किसानों के विरोध प्रद ान पर धनखड़ ने किसानों से सरकार की बात करने का आग्रह किया साथ ही उनसे किसानों से किए गए वादे को पूरे करने का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया जो सरकार के खिलाफ बोलने का आरोप लगा। मतलब साफ है सरकार की मं ाा के खिलाफ किसानों की वास्तविक स्थिति जानने की इच्छा।

उपराश्ट्रपति द्वारा दिनांक 21जुलाई 2025 को 12:30 बजे कार्यमंत्रणा समिति बैठक बुलाई गई जिसमें किरन रिजीजु,मुरूगन,अर्जुन मेघवाल और जे पी नड्डा पंहुचे सभापति महोदय ने एसआइआर और ऑपरे ान सिंदुर की चर्चा के समय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री की उपस्थिति विपक्ष चाहता है और प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैंमें और उसी दिन 4:30 बजे पुनः बुलाई गई का नहीं पहुँचना सत्ता और उपराश्ट्रपति के बीच के द्वन्द्व को द ार्शाता है। साथ ही उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता जयराम नरे ा के साथ उपराश्ट्रपति का जाना भी उस दिन होने वाली गतिविधियों की ओर इ ाारा करता है।

जस्टिस वर्मा के रिमूवल पर बीजेपी चाहती थी कि पहले पहल उनके द्वारा होनी चाहिए और लोकसभा के 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे परन्तु इससे पहले ही राज्यसभा के 63 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर सभापति को महाभियोग के लिए लिख दिया। सत्तारूढ़ पार्टी ने सोचा यहां तो विपक्ष ने बाजी मार ली, जबकि वह चाहती थी कि सबको साथ लेकर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विपक्ष ने सोचा कि सभापति महोदय विपक्ष को सब बातों का भान न करा दें। लल्लनटॉप के नेतागिरी कार्यक्रम जब हिमां ाु मिश्रा से पूछा गया कि क्या विदे ा यात्रा पर जाते समय धनखड़ प्रधानमंत्री की बुराई करते थे इसकी सत्यता के बारे में मिश्रा ने कहा कि यह सत्य है। मंत्रियों को भी डांटते थे और सचिवों के सामने डांटने पर एक मंत्री ने कहा कि आप उन्हें अकेले में डांट सकते हैं। साथ ही धनखड़ ने कहा कि सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। यहां अमेरिकी उपराश्ट्रपति जेडी वैंस के भारत आने के बाद प्रोटोकाल के बावजूद उनसे नहीं मिलाया। धनखड़ को उनके पूरे कार्यकाल में केवल दो बार ही विदे ा जाने की अनुमति मिली। उनका ऑफिस पूछता परन्तु कोई ढंग का जवाब नहीं मिलता।आरएसएस के पक्ष में बयान देने वाले जस्टिस चन्द्र ोखर के रिमूवल की बात की जबकि इससे सत्ता पक्ष नाराज हो सकता था। पी.सी. मोदी राज्यसभा के महासचिव के सेवा विस्तारीकरण के पक्ष में धनखड़ ने उनको नहीं चाहने की बात कही जिस पर सरकार ने कहा कि ये आपका काम नहीं है, यह सरकार का काम है। धनखड़ सरकार की बातों पर 100प्रति ात सहमति नहीं रखते थे। मोदी–अमित भााह के अनुसार नहीं चलना मतलब गड़बड़ी को न्यौता देना था। विपक्ष भी उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं होता था। साथ ही कहा जाता है कि धनखड़ योगी आदित्य नाथ का पक्ष लेते और मोदी पर कटाक्ष करने लगे थे। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इस्तीफे के पिछले 6 महीने से गड़बड़ थी। सरदेसाई ने यह भी कहा कि सरकार बोलने वालों को बोलने नहीं देती। ऐसा इसलिए कहा कि धनखड़ ममता बनर्जी के खिलाफ चैनल पर आकर बोलना चाहते थे। वो अन्य पार्टियों के नेताओं पर कटाक्ष करने लग जाते थे जो उनके बड़बोलेपन को द ार्शाता है,जैसे ि ावसेना की विधानसभा में हार के बाद एक महिला सांसद को कुछ चुभती बात कहना। दीपक भार्मा अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि एनडीए में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। उसने कहा कि यह प्रमाण के साथ कह रहा हूं,कि धनखड़ ही बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को भड़काने का काम करते थे जो कि मोदी के खासमखस थे। दीपक भार्मा ने कहा कि 18 जून को चन्द्रबाबू नायडू के बेटे से मुलाकात और कुछ ऐसी बात कहना जिसके तीन हफ्ते बाद ही उनकी कुर्सी चली जाती है। नारा लोके ा से धनखड़ ने कहा कि आप अपने पिता समझाइए और विपक्ष से मिलने और समन्वय बनाने की बात कही यह बात उनको यह बात जगदीप सिंह सिंधु ने कही। कारण बताया कि उनके मध्य हुई बातें मोदी के पास लीक होकर चली गई।

वरिश्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा ने धनखड़ को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया क्योंकि विपक्षियों से मिलना और बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करना। धनखड़ के इस्तीफे से मोदी–अमित भााह की मिट्टी पलीत हुई है,क्योंकि धनखड़ का पद संवैधानिक दृश्टि से दूसरा बड़ा पद धारित व्यक्ति को बेइज्जत कर बाहर निकाला गया।

आपका अखबार के सम्पादक प्रदीप सिंह ने जगदीप धनखड़ के लिए कहा कि बीजेपी ने जिसे फ ार्श से अ ार्श तक पहुंचाया लेकिन अतिमहत्वाकांक्षा ने उनसे क्या करवा दिया। कार्यालयों में अपनी तस्वीर का नहीं लगा होना जबकि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मोदी भााह के चित्र का लगा होना उनके लिए अच्छा महसूस नहीं कराता। सुविधाओं की मांग करना, पत्नी की विदे ायात्रा के दौरान उनकी आगवानी न करना, खुद को एक भाक्ति ााली रूप में प्रस्तुत करना, संघ के नजदीक जाना जबकि वे प्रारम्भ में संघ के नजदीक नहीं थे। वे प्रधानमंत्री की बुराई करते थे कि प्रधानमंत्री झुकते नहीं हैं। विपक्षियों को अपने पास बुलाना जैसे केजरीवाल,

संजय सिंह, नारा लोके ा को कुछ कहना।विपक्ष का नेता बनने की एक तरह से महत्वाकांक्षा ने उनसे जल्दबाजी करवा दी।

निश्कर्शः—मैं मेरे इस आलेख के माध्यम से समाज और राज्य को बताने का प्रयास किया जाएगा कि उस समय आप अतिमहत्वाकांक्षी न बने जब भाक्ति का केन्द्र किसी ऐसे व्यक्ति के इर्द—गिर्द हो जो झुकने को अपनी नीति नहीं मानता हो। कभी—कभी अतिमहत्वाकांक्षी व्यक्ति नकारात्मकता को तुरन्त अपना लेता है, और वास्तविकता को काल्पनिक दुनिया में प्रवे ा कर जाता है। वैसे मनुश्य की प्रकृति बदलती नहीं है, परन्तु अवसरवादिता में व्यक्ति अपने आपको बदला हुआ दिखाने का प्रयास करता है। राजनीति में अवसरवादिता के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इस लेख में इसी द्वन्द्व का मैंने अध्ययन किया और उस घटना का वि लेशण करने का प्रयास किया जिसको नहीं घटना चाहिए था। 21 जुलाई 2025 की घटना घटी जो अपने आप ही ऐतिहासिक बन गई क्योंकि उपराश्ट्रपति का इस्तीफा कारण और परिस्थिति सब भिन्न, इससे पूर्व इस प्रकार का इस्तीफा नहीं हुआ। आलेख में इस बात को खोजा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए। स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद के राज्यसभा के सभापति अर्थात् उपराश्ट्रपति के बारे में बात करना भी आव यक होना चाहिए। उपराश्ट्रपति सीधा कार्यपालिका से सम्बंधित काम नहीं करते उनका ज्यादातर काम राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अधिकां ा समय कांग्रेस आधिपत्य वाली सरकारें रही, वहां ऐसा विरोधाभास सभापति और सरकारों में देखने को नहीं मिला और ना ही उनकी ऐसी कोई प्रवृति रही। यद्यपि उपराश्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा कभी ज्यादा की ही नहीं जाती। कई उपराश्ट्रपति आए और चले गए उनके कार्यकाल को ज्यादा याद नहीं किया गया और ना ही उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे।

अगर हम पूर्व उपराश्ट्रपतियों की बात करें तो डॉ.राधाकृश्ण के कार्य और व्यवहार को सभी सांसदों ने सराहा क्योंकि वे भाुद्ध राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक ि ाक्षाविद् और दा ार्निक थे। डॉ. जाकिर हुसैन भी एक अनु ाासनप्रिय व्यक्ति थे। बी.डी.जत्ती ने राज्यसभा का काम बड़ी निश्पक्षता के साथ संचालित किया। एम हिदायतुल्लाह पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कभी भी पद का दुरूपयोग अथवा पक्षपात का आरोप नहीं लगा,राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका व्यवहार सबके साथ मित्रवत् रहा। वैंकट रमण ने भी कभी किसी के साथ दुर्भावना और पक्षपात मन में नहीं रखा, इनकी प्र ांसा विपक्षी भी करते थे। डॉ. भांकरदयाल भार्मा कांग्रेस पृश्ठभूमि के और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, राज्यसभा के सभापति के रूप में बेहद संवेदन ाील थे। ये एक बार सदन में सांसदों द्वारा राजनीतिक मुद्दों पर सदन को बाधित करने के कारण भावुक होकर रो पड़े थे। इनके जेहन में संसद के नियम कानून हमे ाा रहते थे, और इनका पालन करवाना और सम्मान का हमे ाा ध्यान रखते थे। के.आर नारायणन विद्वान और संसदीय नियम और कानूनों के जानकार थे। भैंरोंसिंह भोखावत के उपराश्ट्रपति पद पर रहते हुए सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने चुनाव लड़ा तो पहले भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। उनके सम्बंध राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी के साथ गरिमापूर्ण और अच्छे रहे थे। हामिद अंसारी सभापति के पद पर रहते हुए तो सबके साथ समान व्यवहार किया। किन्तु इनकी पीड़ा इनके पद से हटने के बाद प्रकट हुई। एम वैंकैया नायडू ने भी सदन चलाने में अपने अनुभव का उपयोग किया।

इन सब सभापति अर्थात् उपराश्ट्रपतियों ने कार्यकाल के दौरान कोई विवादास्पद बयान ऐसा नहीं दिया सिवाय धनखड़ के या फिर ऐसा है इन्होंने अपने आपको महत्वाकांक्षी नहीं बनाया और बयानबाजी अतिसक्रियतावाद ओर मूल पार्टी विचारधारा से दूर रखा। यदि कोई मूल पार्टी विचारधारा से जुड़ा भी रहा तो सीमाओं का ध्यान रखा। धनखड़ एक वकील,कानून के जानकार और दूसरा राजनीति में दलीय स्थायित्व नहीं क्योंकि प्रारम्भ में जनता दल से जुड़े फिर कांग्रेस और बाद में भाजपा। उनकी विचारधारा स्थायी हो नहीं पाई और ना ही यह सम्भव थी क्योंकि वकील किसी कानूनी मुद्दे पर चुप नहीं रह सकता। एक बात और भी थी कि उनको राज्यपाल का पद भी राजनीतिक दृश्टि से गुमनामी में से निकालकर मिला था। जब कोई सत्तारूढ़ दल किसी को उच्च पद पर पहुंचाता है तो वह कुछ अपेक्षा जरूर रखता है। धनखड़ ने पद पर रहते हुए ऐसा किया भी परिणामतः उन्हें इनाम के रूप में उपराश्ट्रपति पद पर सु ाोभित किया। एक बात और कि वो मूलतः किसान परिवार से और जातिगत रूप से जाट समाज से जो ज्यादा दिनों तक किसी का दबाव सहन

नहीं कर सकती। इसका उदाहरण हम जम्मू–क मीर के पूर्व दिवंगत राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी रहे हैं। इस्तीफे के बाद वो सार्वजनिक नहीं हुए परन्तु दिनांक 21 नवम्बर 2025 को भोपाल में आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य की पुस्तक के विमोचन पर बोला कि "भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए, इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मु कल है।" इसके तुरन्त बाद उन्होंने कहा कि वे अपना उदाहरण नहीं दे रहे हैं। सभी बुद्धिजीवियों के समझने के लिए इ ारा ही काफी है, इस दौरान किसी भी भाजपा के नेता ने उनकी आगवानी नहीं की। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा अपने व्यक्तिव्य के खुलेपन के कारण दिया होगा।

संदर्भः–

01. डी.डी.बसु– भारत का संविधान, अनुच्छेद 67(क)
02. पुखराज जैन– भारतीय राज व्यवस्था
03. एम.लक्ष्मीकान्त– भारतीय राज व्यवस्था
04. डीडी न्यूज (21 जुलाई, 2025) उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा।
05. प्रेस सूचना ब्यूरो (21 जुलाई, 2025)–प्रेस विज्ञप्ति भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र।
06. अमर उजाला. (22 जुलाई, 2025)–उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर पीएम मोदी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
07. नवभारत टाइम्स. (22 जुलाई, 2025)–उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा? राष्ट्रपति को लिखे पत्र में स्वास्थ्य का दिया हवाला।
08. आज तक. (22 जुलाई, 2025)–जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा क्या थे इसके पीछे के राजनीतिक और स्वास्थ्य कारण?
09. दैनिक भास्कर. (22 जुलाई, 2025)–धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा का संचालन उपसभापति हरिवंश संभालेंगे जिम्मेदारी।
10. न्यूज18 इंडिया . (21 जुलाई, 2025) 2027 तक था कार्यकाल, 2025 में पद क्यों छोड़ा?
11. एबीपी न्यूज (22 जुलाई, 2025) उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वीवी गिरि और आर वेंकटरमन के बाद ऐसा करने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने धनखड़।
12. ब्रिटैनिका हिंदी–जगदीप धनखड़ जीवनी और उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र।